


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2014/भाद्र 27, 1936

No. 269]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2014/BHADRA 27, 1936

भारतीय स्टेट बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 15 सितम्बर, 2014

सं. सीडीओ/पीएम/16/एसपीएल/1136.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (वर्ष 1955 का 23वां) की धारा 50 की उप-धारा (2) के खण्ड (ण) के साथ पठित उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और फाइल क्र. एफ 8/45/65-एसबी, दिनांक 18 मई, 1965 के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि नियमों के प्रतिस्थापन में, सिवाय ऐसे प्रतिस्थापन से पूर्व जोड़े गए या हटाए गए कथनों के, भारतीय स्टेट बैंक का केन्द्रीय बोर्ड रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके और केन्द्रीय सरकार की पूर्व संस्वीकृति से, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बना रहा है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—

- (1) इन विनियमों को भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि विनियम, 2014 कहा जाएगा।
- (2) अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर, ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा— इन विनियमों में, जब तक इस संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो तब तक—

- (क) “अधिनियम” से अभिप्राय भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (वर्ष 1955 का 23वां) से है ;
- (ख) “बैंक” से अभिप्राय भारतीय स्टेट बैंक से है ;
- (ग) “न्यासी बोर्ड” से अभिप्राय विनियम 3 में संदर्भित न्यासी बोर्ड से है ;
- (घ) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्राय विनियम 15 में संदर्भित सक्षम प्राधिकारी से है ;
- (ङ) “फॉर्म” से अभिप्राय विनियमों के साथ संलग्न किए गए फॉर्म से है ;

- (च) “निधि” से अभिप्राय भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि से है ;
- (छ) “सदस्य” से अभिप्राय बैंक की सेवा में ऐसे व्यक्ति से है जिसने इस निधि की सदस्यता को स्वीकार कर लिया है ;
- (ज) “पेंशन” से अभिप्राय विनियम 23 के अंतर्गत यथा आकलित पेंशन से है ;
- (झ) “वेतन” से अभिप्राय वास्तविक या मूल वेतन से है ;

परंतु यह कि 1 जनवरी, 1962 से 31 जुलाई, 1966 तक की अवधि के संबंध में, वेतन से अभिप्राय—

- (क) राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के अवार्ड के अंतर्गत आने वाले या उसके आधार पर वेतन प्रदत्त कर्मचारियों को छोड़कर, अन्य कर्मचारियों के मामले में वास्तविक या मूल वेतन से होगा।
- (ख) अधीनस्थ स्टाफ को छोड़कर, इस अवार्ड में शामिल किए गए या इसमें उल्लेख किए गए आधार पर वेतन प्रदत्त किए गए कर्मचारियों के मामले में, प्रदान किए गए मूल वेतन के अस्सी प्रतिशत से है ; और
- (ग) इस अवार्ड में शामिल किए गए या इसमें उल्लेख किए गए आधार पर वेतन प्रदत्त किए गए अधीनस्थ कर्मचारियों के मामले में, प्रदान किए गए मूल वेतन के पचहत्तर प्रतिशत से है :

परंतु यह और कि दिनांक 01 सितंबर, 1978 से, “वेतन” या “वास्तविक वेतन” में एक सदस्य की अन्य परिलब्धियां या उसका ऐसा भाग शामिल होता है जो इस समय सदस्य के पद के लिए लागू सेवा नियमों के अंतर्गत अधिवर्षिता लाभों के रूप में बैंक द्वारा अनुमत किया गया हो।

(2) अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों जिनका इन विनियमों में प्रयोग किया गया है परंतु परिभाषित नहीं किया गया है और इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अर्थ वही रहेगा जो इस अधिनियम में उनके लिए क्रमशः निर्धारित किया गया है।

3. न्यासी बोर्ड और उसकी बैठकें— बैंक के निदेशक इस समय इस निधि के न्यासी रहेंगे और ऐसे न्यासियों की प्रत्येक बैठक में बैंक के अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में निदेशकों में से कोई एक निदेशक, जो एक कार्यपालक अधिकारी न हो, बैठक के अध्यक्ष चुने जाएंगे।

4. बैठक के लिए कोरम— कम से कम पांच न्यासी जिनमें अनिवार्य रूप से दो न्यासी बैंक के कार्यपालक अधिकारी होंगे, की उपस्थिति में इस निधि से संबंधित काम-काज करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा।

(2) प्रत्येक न्यासी के पास एक मत रहेगा और समान विभाजन के सभी मामलों में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत रहेगा।

5. इस निधि की समितियां — (1) न्यासी अपने में से किसी एक को, जो बैंक के कार्यपालक अधिकारी होंगे, इन विनियमों के अंतर्गत स्वीकार्य पेंशन संस्वीकृत करने के संबंध में न्यासियों को निहित सभी अधिकारों एवं विवेकाधिकारों का न्यासियों की ओर से प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

(2) न्यासी अपने में से किसी एक को प्रतिभूतियों की बिक्री और निधियों के निवेश सहित इस निधि से संबंधित अन्य सामान्य काम-काज करने के लिए एक समिति के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

(3) तथापि, दो न्यासी ऐसे निदेशक रहेंगे जो बैंक के कार्यपालक अधिकारी नहीं हैं, इस अभिभावी शर्त के अधीन तीन न्यासी इस समिति का कोरम बन जाएंगे।

(4) इस समिति के सभी निर्णय सर्वसम्मति से पारित किए जाएंगे और ऐसा न होने पर, जिस मामले पर मत विभाजन होता है, उस मामले को न्यासी बोर्ड की बैठक के लिए संदर्भित किया जाएगा।

6. इन विनियमों में परिवर्तन— जहाँ परिस्थितियाँ ऐसी आवश्यक हो, न्यासी इन विनियमों में कोई भी परिवर्तन या परिवर्तन बैंक के केन्द्रीय बोर्ड को संस्तुत कर सकते हैं जिससे कि इन्हें भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 के प्रावधानों के अनुसार बनाया जा सके।

7. पात्रता—(1) विनियम 8 में उल्लेख किए गए को छोड़कर, बैंक की सेवा में प्रत्येक स्थायी कर्मचारी (ऐसे स्थायी अंशकालीन कर्मचारियों सहित जो बैंक में एक सप्ताह में छह घंटे से अधिक कार्य करते हैं, जो अपनी सेवा के निबंधनों एवं शर्तों के अंतर्गत पेंशन लाभों के लिए पात्र हैं, निम्नांकित तिथि से इस निधि के सदस्य बन जाएंगे—

(क) वह तिथि जिस तिथि को वह बैंक की सेवा में स्थायी हो गया हो, अथवा

(ख) वह तिथि जिस तिथि को वह अपनी सेवा के निबंधनों एवं शर्तों के अंतर्गत इस निधि का एक सदस्य बनना आवश्यक हो।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) में समाविष्ट किए गए किसी भी कथन के बावजूद भी, जो कर्मचारी 1 अगस्त, 2010 को या उसके बाद बैंक में कार्य-ग्रहण करता है, इस निधि का सदस्य

नहीं बनेगा और इस निधि का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

8. सदस्यता के लिए इंकार—(1) विनियम 25 में उल्लेख किए गए को छोड़कर, दिनांक 22.05.1998 को या उसके बाद ऐसी सदस्यता प्रदान नहीं करना—कोई भी कर्मचारी इस निधि के एक सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होंगे—

(क) यदि वह इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी पेंशन एवं गारंटी निधि का एक सदस्य हो या यदि वह भारत के बाहर किसी देश में सेवा के लिए रखा गया हो और ऐसे देश में सेवा के लिए नियुक्त किया गया हो ;

(ख) यदि वह 18 वर्ष की आयु से कम हो ;

(ग) यदि वह 50 वर्ष की आयु से अधिक हो ; या

(घ) बैंक द्वारा जिनकी सेवाएं विशेष रूप से गैर-पेंशनयोग्य घोषित की गई हों।

9. बैंक द्वारा अधिग्रहीत या बैंक में समामेलित बैंकिंग संस्थान के कर्मचारी को सदस्यता प्रदान करना—

विनियम 7 और विनियम 8 में समाविष्ट किसी भी उल्लेख के बावजूद, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35 के अंतर्गत किसी बैंकिंग संस्थान का व्यवसाय बैंक द्वारा अधिग्रहण करने के मामले में, या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या अन्य दूसरे प्रयोज्य कानून या अन्यथा के अंतर्गत बैंक के साथ किसी बैंकिंग संस्थान के समामेलन के मामले में—

(क) बैंकिंग संस्थान के कर्मचारी जो ऐसे अधिग्रहण या समामेलन के अनुसार इस बैंक के स्थायी कर्मचारी बन गए हैं, यदि बैंक का केन्द्रीय बोर्ड उन्हें इस निधि का सदस्य बनाने का निर्णय लेता है, तो इन विनियमों के अनुसार वे इस निधि के सदस्य बन जाएंगे।

(ख) बैंकिंग संस्थान के कर्मचारी जो ऐसे अधिग्रहण या समामेलन से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो पेंशन बढ़ोतरी सहित पेंशन लाभ तथा पारिवारिक पेंशन, यदि कोई हो, के लिए पात्र हैं, इन विनियमों के अनुसार इस निधि के सदस्य बन जाएंगे और ऐसे विनियम बैंक के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं तथा ऐसे सदस्य ऐसे बैंकिंग संस्थान के उन नियमों, विनियमों के अनुसार पेंशन के लिए पात्र होंगे जो उन पर लागू होते थे और जिनके अनुसार वे ऐसे अधिग्रहण या समामेलन की तिथि और अधिग्रहण या समामेलन से पूर्व पेंशन लाभों के लिए पात्र थे।

(ग) बैंकिंग संस्थान के ऐसे कर्मचारी जो ऐसे अधिग्रहण या समामेलन से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं और किसी उद्योगस्तरीय समझौते या अन्यथा के परिणामस्वरूप पेंशन लाभ के लिए पात्र हो गए हैं, इन विनियमों के अनुसार इस निधि के सदस्य बन जाएंगे और ऐसे विनियम बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा ऐसी बैंकिंग संस्थान के नियमों या विनियमों या उसके अधिग्रहण या समामेलन की योजना के अनुरूप निर्धारित किए जा सकते हैं, जो उन पर लागू होते थे और ऐसे अधिग्रहण या समामेलन की तिथि से पूर्व वे पेंशन लाभ के लिए पात्र थे और पात्र हो गए हैं।

10. पेंशन निधि के लिए बैंक का अंशदान — (1) बैंक उन सभी कर्मचारियों के संबंध में जो इस निधि के सदस्य हैं, बैंक द्वारा देय वेतन के दस प्रतिशत के बराबर की राशि भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि में मासिक आधार पर अंशदान करेगा :

परंतु यह कि बैंक किसी सदस्य की ऐसी सेवा अवधि के लिए अंशदान नहीं करेगा जो पेंशनयोग्य सेवा के रूप में नहीं गिनी जाती हो।

(2) इस प्रकार आकलित की गई बैंक अंशदान की राशि, यदि वह पैसे में आती हो, तो उसे अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

(3) दिनांक 25.01.2012 को या उसके बाद, बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मार्च की 31वीं तारीख को इस निधि की वित्तीय शर्तों की जांच किसी बीमांकिक द्वारा करवाएगा और पेंशन विनियमों के अंतर्गत लाभों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होने पर इस प्रकार का अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करेगा :

परंतु यह कि पेंशनरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पेंशन संरचना ऐसी बीमांकिक जांच-पड़ताल या मूल्यांकन के आधार पर भिन्न नहीं होगी।

11. निधि संपत्ति का प्रबंध —जब तक इस निधि के एक न्यासी के रूप में पात्र न हो, तब तक किसी भी कर्मचारी को न तो इस निधि की संपत्ति पर कोई अधिकार होगा और न ही वह इसके प्रबंधन के संबंध में कोई आवाज उठाएगा।

12. ब्याज का भुगतान—बैंक में जमा निधि की इस राशि पर बैंक पर समय-समय पर उसके द्वारा निर्धारित दर से ब्याज अदा करेगा और प्रत्येक अर्ध वर्ष की समाप्ति पर उसे जमा कर दिया जाएगा।

13. निधि की राशि का निवेश—(1) न्यासी इस निधि की राशियों या उसके भाग को ऐसे स्टॉक, फण्डों और प्रतिभूतियों (अचल संपत्ति को छोड़कर) में निवेश कर सकते हैं जिनमें न्यासी को इस समय लागू किसी कानून के द्वारा न्यास राशि का निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

(2) इस विनियम के अंतर्गत किए गए निवेशों से संबंधित प्रतिभूतियों को भारतीय स्टेट बैंक के नाम से पंजीकृत करवाकर रखा जाएगा और इन्हें निधि के न्यासियों के नाम से बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।

14. पेंशन का उपचित या जब्त हो जाना —जान-बूझकर लापरवाही या धोखाधड़ी के कारण बैंक की सेवा से बर्खास्त एक कर्मचारी की पेंशन के संबंध में इस निधि पर किए गए सभी दावे जब्त हो जाएंगे।

15. सेवानिवृत्ति की संस्वीकृति—बैंक के सभी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति समय-समय पर बैंक के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति द्वारा पदनामित सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के अध्यधीन रहेगी।

परंतु यह कि इन विनियमों के अंतर्गत किसी अधिकारी को संस्वीकृति देने से इनकार करने से संबंधित किसी निर्णय के लिए केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होगा और बैंक के अन्य सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के अध्ययन रहेगी।

परंतु आगे यह कि इन विनियमों के अंतर्गत किसी कर्मचारी को संस्वीकृति देने से इनकार करने से संबंधित किसी निर्णय के लिए उसके नियोजन वाले संबंधित स्थानीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की पूर्व संस्वीकृति की

आवश्यकता होगी और इन विनियमों के अंतर्गत यथा आवश्यक संस्वीकृति के बिना बैंक की सेवा छोड़ने वाले किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की पेंशन के संबंध में इस निधि पर किए गए सभी दावे जब्त हो जाएंगे।

16. पेंशन हस्तांतरण योग्य नहीं – पेंशन हस्तांतरण योग्य नहीं होगी और हस्तांतरण किए जाने के मामले में यह अपने आप ही समाप्त हो जाएगी।

17. पेंशन का उपचित होना - पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद प्रथम दिन से ही उपचित होना शुरू हो जाएगी और लाभार्थी को व्यक्तिगत रूप से या उसके हस्ताक्षर किए हुए और किसी मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ पीस या बैंकर द्वारा अनुप्रमाणित जीवन प्रमाणपत्र लगे हुए उसके आदेशानुसार मासिक आधार पर देय होगी।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के प्रयोजन हेतु,

(क) "मजिस्ट्रेट" अभिव्यक्ति में न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट शामिल होंगे।

(ख) "बैंकर" अभिव्यक्ति में बैंक का कोई अधिकारी शामिल होगा।

18. पेंशन का भुगतान - प्रत्येक मामले में निधि में खुले हुए सदस्य के खाते में शेष समाप्त नहीं होने तक पेंशन सदस्य के खाते में ही नामे की जाएगी और उसके बाद इस निधि के सामान्य शेष खाते में नामे की जाएगी।

19. सेवानिवृत्ति के बाद नियोजन - (1) बैंक का यदि कोई अधिकारी जो इन विनियमों के अंतर्गत पेंशन के लिए पात्र हैं, किसी भी समय अन्य किसी बैंक में रोजगार स्वीकार करना या सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के अंदर अन्य किसी वाणिज्यिक नियोजन करना चाहता है, तो वह समय-समय पर केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति द्वारा पदनामित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व संस्वीकृति प्राप्त करेगा और ऐसे मामले में, सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर कार्यपालक समिति द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे प्रस्तावों पर विचार करेगा।

(2) अपवादात्मक परिस्थितियों में, जहां प्रस्ताव कार्यपालक समिति द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है या अनुमति के लिए इनकार किया जाना हो, ऐसे प्रस्ताव पर कार्यकारिणी समिति द्वारा विचार किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी इस नियम के अंतर्गत आवश्यक संस्वीकृति के बिना इस प्रकार का कोई रोजगार शुरू करता है, तो न्यासी अपने विवेकाधिकार से उसे देय होने वाली पेंशन या तो संपूर्ण या उसके भाग को वापस लेने में सक्षम रहेंगे।

परंतु यह कि किसी अधिकारी को सेवानिवृत्ति के लिए उसके प्रारंभिक अवकाश के दौरान एक विशेष प्रकार का वाणिज्यिक नियोजन शुरू करने के लिए कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमति दी गई हो, तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद अपना ऐसा नियोजन जारी रखने के लिए बाद में अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) यदि किसी अधिकारी ने उप-विनियम (1) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के पास पूर्व संस्वीकृति के लिए आवेदन किया है, तो कर्मचारी को अन्य दूसरे बैंक में रोजगार शुरू करने या वाणिज्यिक नियोजन करने की अनुमति दी जाएगी या कर्मचारी को अपनी बात कहने का अवसर देने के बाद ऐसी अनुमति देने से इनकार कर दिया जाएगा।

परंतु यह है कि यदि सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 90 दिनों के अंदर आवेदक को अपनी अनुमति या अस्वीकृति की सूचना नहीं देता है, तो उक्त नियोजन को शुरू करने के लिए उस कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी हुई समझ ली जाएगी।

परंतु आगे यह कि यदि सक्षम प्राधिकारी ने कर्मचारी से अन्य सूचना या स्पष्टीकरण मांगा है, तो अपेक्षित सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में कर्मचारी द्वारा लिए गए समय को 90 दिनों की उक्त अवधि की गणना करने के प्रयोजन हेतु नहीं पकड़ा जाएगा।

20. पेंशन के लिए सेवा की गणना - विनियम 21 में उल्लिखित बातों को छोड़कर, दिनांक 1.11.93 से विनियम 22 के अनुसार कर्मचारी/सदस्य द्वारा इस निधि में उसके प्रवेश की तिथि से सेवानिवृत्ति की तिथि तक उसके द्वारा की गई सेवा को पेंशनयोग्य सेवा के रूप में समझा जाएगा।

21. पेंशनयोग्य सेवा - (1) बिना वेतन के संस्वीकृत अवकाश की अवधि को या बिना अवकाश की अनुपस्थिति अवधि को पेंशनयोग्य सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा :

परंतु यह कि निलंबन की अवधि को केवल उसी सीमा तक पेंशनयोग्य सेवा के रूप में गिना जाएगा जब उसे बहाल करने वाले प्राधिकारी उसे बहाली के समय उस अवधि को पेंशन योग्य घोषित करता है या जो प्राधिकारी उसकी सेवानिवृत्ति संस्वीकृत करता है, वह उस समय उस अवधि को पेंशन योग्य घोषित करता है।

(2) यदि कोई भूतपूर्व कर्मचारी बैंक की सेवा में फिर से शामिल होता है, तो न्यासी अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, यह मानते हुए कि ऐसी सेवा की निरंतरता में कोई रूकावट नहीं आई थी, बैंक की सेवा में फिर से शामिल होने से पूर्व की उसकी सेवा अवधि को पेंशन के लिए गणना करने हेतु अनुमत कर सकते हैं।

22. पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा - (1) एक सदस्य बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने पर इन विनियमों के अंतर्गत पेंशन के लिए पात्र होगा -

(क) बीस वर्ष की पेंशनयोग्य सेवा पूरी करने के बाद बशर्ते कि उसने पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो या यदि वह दिनांक 01.11.93 को या उसके बाद बैंक की सेवा में हो, दस वर्ष की पेंशनयोग्य सेवा पूरी करने के बाद बशर्ते कि उसने अट्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो या यदि वह दिनांक 22.05.1998 को या उसके बाद बैंक की सेवा में हो, दस वर्ष की पेंशनयोग्य सेवा पूरी करने के बाद बशर्ते कि उसने साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो ;

(ख) बीस वर्ष की पेंशनयोग्य सेवा पूरी करने के बाद, भले ही उसने कितनी भी आयु प्राप्त कर ली हो, यदि वह अनुमोदित चिकित्सा प्रमाणपत्र या अन्यथा के द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति संस्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट कर देता है कि वह आगे सक्रिय सेवा करने में सक्षम नहीं है ;

(ग) बीस वर्ष की पेंशनयोग्य सेवा पूरी करने के बाद, भले ही उसने कितनी भी आयु प्राप्त कर ली हो, उसके लिखित अनुरोध पर ;

(घ) पच्चीस वर्ष की पेंशनयोग्य सेवा के बाद ;

(2) एक सदस्य जिसने पचपन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो या जिसके द्वारा शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण (ऐसी अशक्तता अनियमित या असंयमित आदतों के कारण न हुई हो) स्थायी रूप से अक्षम होने पर अपनी सेवानिवृत्ति संस्वीकृत करने का अधिकार रखने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए यह सिद्ध कर देता हो, न्यासियों के विवेकाधिकार से उसे यथानुपातिक पेंशन संस्वीकृत की जा सकती है।

(3) एक सदस्य जिसे उप-विनियम 1 के खण्ड (ग) के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई है, यथानुपातिक पेंशन के लिए पात्र होगा।

23. पेंशन का आकलन - (1) उप-विनियम (2) और (3) के प्रावधानों के अध्यक्षीन, विनियम 22 के अंतर्गत देय पेंशन की राशि पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित औसत मासिक वास्तविक वेतन के प्रत्येक वर्ष की पेंशन योग्य सेवा का साठवां भाग निकाली जाएगी।

(2) अधिकतम पेंशन पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित औसत मासिक वास्तविक वेतन का आधा भाग या रु. 2400 प्रति माह, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी (अंशकालीन कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक), जो भी कम हो :

परंतु यह कि दिनांक 01.11.93 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए/सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के लिए अखिल भारतीय श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के तिमाही औसत में 1148 बिन्दु तक मूल वेतन में महंगाई भत्ते का समायोजन करने के बाद पेंशन की अधिकतम राशि रु. 2400/- से बढ़ाकर रु. 4250/- तक बढ़ायी गई है (अंशकालीन कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक) :

परंतु आगे यह है कि दिनांक 01.03.1999 से, दिनांक 01.11.1992 (अवार्ड स्टाफ) / 01.07.1993 (पर्यवेक्षी स्टाफ) से प्रभावी वेतनमानों में वास्तविक वेतन आहरित करके सेवानिवृत्त हुए सदस्यों के लिए पेंशन की अधिकतम राशि निम्नानुसार रहेगी और इसके बाद इस संबंध में आगे संशोधन होने तक इसी तरह से निकाली जाएगी ;

(क) यदि पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का औसत रु. 8500/- प्रति माह तक है, तो पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन के औसत का 50 प्रतिशत (अंशकालीन कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक) ; और

(ख) यदि पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का औसत रु. 8500/- प्रति माह से अधिक है, तो न्यूनतम रु. 4250/- के अध्यक्षीन पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन के औसत का 40 प्रतिशत (अंशकालीन कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक) :

परंतु आगे यह भी कि दिनांक 01.05.2005 से, दिनांक 01.11.2002 से प्रभावी वेतनमानों में वास्तविक वेतन आहरित करके सेवानिवृत्त हुए सदस्यों के लिए पेंशन की अधिकतम राशि निम्नानुसार रहेगी और इसके बाद इस संबंध में आगे संशोधन होने तक इसी तरह से निकाली जाएगी ;

(क) यदि पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का औसत रु. 21040/- तक + व्यावसायिक योग्यता वेतन + प्रति माह स्थायी वैयक्तिक वेतन है, तो पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन के औसत का 50 प्रतिशत (अंशकालीन कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक) ; और

(ख) यदि पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का औसत रु. 21040/- से अधिक + व्यावसायिक योग्यता वेतन + प्रति माह स्थायी वैयक्तिक वेतन है, तो न्यूनतम रु. 10520/- प्रतिमाह + 50 प्रतिशत व्यावसायिक योग्यता वेतन + 50 प्रतिशत स्थायी वैयक्तिक वेतन, जहां कहीं लागू हो, के अध्यक्षीन पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन के औसत का 40 प्रतिशत (अंशकालीन कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक)।

परंतु आगे यह भी कि दिनांक 1.11.2007 से, दिनांक 1.11.2007 से प्रभावी वेतनमानों में वास्तविक वेतन आहरित करके सेवानिवृत्त हुए सदस्यों के लिए पेंशन की अधिकतम राशि निम्नानुसार रहेगी और इसके बाद इस संबंध में आगे संशोधन होने तक इसी तरह से निकाली जाएगी ;

(क) यदि पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का औसत रु. 31,500/- तक है, तो पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक

वास्तविक वेतन के औसत का 50 प्रतिशत + 50 प्रतिशत व्यावसायिक योग्यता वेतन + स्थायी वैयक्तिक वेतन के वृद्धिशील घटक का 50 प्रतिशत, जहां कहीं लागू हो, (अंशकालीन कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक) ;

(ख) यदि पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का औसत रु. 31,500/- से अधिक है, तो न्यूनतम रु. 15,750/- प्रतिमाह के अध्यक्षीन पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन के औसत का 40 प्रतिशत + 50 प्रतिशत व्यावसायिक योग्यता वेतन + 50 प्रतिशत स्थायी वैयक्तिक वेतन, जहां कहीं लागू हो, (अंशकालीन कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक) ;

(3) इस विनियम के अंतर्गत या उपर्युक्त उप-विनियम (2) के अंतर्गत देय पेंशन की राशि, यदि पैसे में आती है, तो उसे अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

(4) एक नियमित कर्मचारी के मामले में न्यूनतम पेंशन की राशि रु. 300/- प्रति माह से कम नहीं होगी (अंशकालीन कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक)।

(5) (क) बैंकिंग संस्थान के ऐसे कर्मचारी जो विनियम 9 के खण्ड (क) के अनुसार इस निधि के सदस्य बन गए हैं, ऐसी पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे जिसे बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(ख) इस निधि का सदस्य बनने के लिए और पेंशन लाभ जिसके लिए वे पात्र हैं, के लिए ऐसी कर्मचारियों की पात्रता के संबंध में केंद्रीय बोर्ड का निर्णय अंतिम, निर्णायक और ऐसे कर्मचारियों पर बाध्यकारी होगा।

(ग) बैंकिंग संस्थान के कर्मचारी, जो ऐसे अधिग्रहण या समामेलन की तिथि से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं परंतु विनियम 9 के खण्ड (ख) के अनुसार या विनियम 9 के खण्ड (ग) के अनुसार इस निधि के सदस्य बन गए हैं, पेंशन बढ़ोतरी सहित ऐसी पेंशन और पारिवारिक पेंशन, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे और ऐसी पेंशन का निर्धारण बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा किसी समझौते, उद्योग स्तरीय या अन्यथा और ऐसे पेंशन नियमों और विनियमों के अनुसार किया जा सकता है जो उन पर अधिग्रहण या समामेलन की तिथि से पूर्व लागू होते थे।

(6) एक सदस्य को पेंशन का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इन विनियमों के अंतर्गत न्यासियों द्वारा पेंशन की संस्वीकृति प्रदान नहीं कर दी गई हो।

(7) एक सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में -

(क) एक वर्ष की पेंशनयोग्य सेवा के पूर्ण हो जाने के पश्चात् बैंक की सेवा में रहते

हुए ; या

(ख) सेवानिवृत्ति के पश्चात् न्यासियों द्वारा केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित निबंधनों एवं

शर्तों के आधार पर कर्मचारी के आश्रित(तों) को पारिवारिक पेंशन की संस्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

(8) (क) उन सदस्यों के मामले में जिनकी बैंक की पेंशनयोग्य सेवा 1.11.87 (1.11.87 को छोड़कर) से पूर्व समाप्त हो चुकी हो, औद्योगिक श्रमिकों हेतु अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1960=100 की श्रृंखला में 600 बिंदुओं के ऊपर की 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि हेतु महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा या प्रत्येक गिरावट हेतु महंगाई राहत, जैसा भी प्रकरण हो, की वसूली की जाएगी, यह 600 बिंदुओं तक उपयुक्त आवश्यक विनियोजन के अधीन किया जाएगा।

(ख) महंगाई राहत में उक्त प्रत्येक 4 बिंदुओं हेतु इस वृद्धि या गिरावट की गणना नीचे दिए गए अनुसार की जाएगी;

तालिका

मूल पेंशन स्केल प्रतिमाह	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(क) रु.1250 तक	0.67 प्रतिशत
(ख) रु.1251 से रु.2000	रु.1250 का 0.67 प्रतिशत और रु.1250 से अधिक के मूल पेंशन का 0.55 प्रतिशत जोड़कर।
(ग) रु.2001 से रु.2130	रु.1250 का 0.67 प्रतिशत और रु.2000 और रु.1250 के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत और रु.2000 से अधिक के मूल पेंशन का 0.33 प्रतिशत जोड़कर।
(घ) रु.2130 से अधिक	रु.1250 का 0.67 प्रतिशत और रु.2000 और रु.1250 रु. के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत और रु.2130 और रु.2000 के बीच के अंतर का 0.33 प्रतिशत और रु.2130 से अधिक के मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत जोड़कर।

(9) (क) उन सदस्यों के मामले में जिनकी बैंक की पेंशन योग्य सेवा 1.11.1987 से 31.10.1993 के बीच समाप्त हो चुकी हो, औद्योगिक श्रमिकों हेतु अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1960=100 की श्रृंखला में 600 बिंदुओं के ऊपर की 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि हेतु महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा या प्रत्येक गिरावट हेतु महंगाई राहत, जैसा भी प्रकरण हो, की वसूली की जाएगी।

(ख) महंगाई राहत में उक्त प्रत्येक 4 बिंदुओं हेतु इस वृद्धि या गिरावट की गणना नीचे दिए गए अनुसार की जाएगी :-

तालिका

मूल पेंशन स्केल प्रतिमाह	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(क) रु.1250 तक	0.67 प्रतिशत
(ख) रु.1251 से रु.2000	रु.1250 का 0.67 प्रतिशत और रु.1250 से अधिक के मूल पेंशन का 0.55 प्रतिशत जोड़कर।
(ग) रु.2001 से रु.2130	रु.1250 का 0.67 प्रतिशत और रु.2000 और रु.1250 के बीच का 0.55 प्रतिशत और रु.2000 से अधिक के मूल पेंशन का 0.33 प्रतिशत जोड़कर।
(घ) रु.2130 से अधिक	रु.1250 का 0.67 प्रतिशत और रु.2000 और रु.1250 के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत और रु.2130 व रु.2000 के बीच के अंतर का 0.33 प्रतिशत और रु.2130 से अधिक के मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत जोड़कर।

(10) (क) उन सदस्यों के मामले में जो बैंक की सेवा से नवंबर 1993 के प्रथम दिन या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हों, औद्योगिक श्रमिकों हेतु अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1960=100 की श्रृंखला में 1148 बिंदुओं के ऊपर की 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि हेतु महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा या प्रत्येक गिरावट हेतु महंगाई राहत, जैसा भी प्रकरण हो, की वसूली की जाएगी।

(ख) महंगाई राहत में उक्त प्रत्येक 4 बिंदुओं हेतु इस वृद्धि या गिरावट की गणना नीचे दिए गए अनुसार की जाएगी :-

तालिका

मूल पेंशन स्केल प्रतिमाह	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(क) रु.2400 तक	0.35 प्रतिशत
(ख) रु.2401 से रु.3850	रु.2400 का 0.35 प्रतिशत और रु.2400 से अधिक के मूल पेंशन का 0.29 प्रतिशत जोड़कर।
(ग) रु.3851 से रु.4100	रु.2400 का 0.35 प्रतिशत और रु.3850 और रु.2400 के बीच का 0.29 प्रतिशत और रु.3850 से अधिक के मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत जोड़कर।
(घ) रु.4100 से अधिक	रु.2400 का 0.35 प्रतिशत और रु.3850 और रु.2400 के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत और रु.4100 व रु.3850 के बीच के अंतर का 0.17 प्रतिशत और रु.4100 से अधिक के मूल पेंशन का 0.09 प्रतिशत जोड़कर।

(11) (क) महंगाई राहत का भुगतान, 1 फरवरी से प्रारंभ और 31 जुलाई को समाप्त होने वाली छमाही हेतु पिछले वर्ष के अक्तूबर, नवंबर तथा दिसंबर महीने हेतु प्रकाशित सूचकांक-आंकड़ों के तिमाही औसत के आधार पर तथा 1 अगस्त से प्रारंभ और 31 जनवरी को समाप्त होने वाली छमाही हेतु उसी वर्ष के अप्रैल, मई और जून माह हेतु प्रकाशित सूचकांक आंकड़ों के औसत के आधार पर किया जाएगा।

(12) महंगाई राहत, संराशीकरण के उपरांत भी संपूर्ण मूल पेंशन पर अनुमत होगी।

(13) 1.11.2002 से 30.04.2005 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त सदस्यों के संबंध में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1960=100 के क्रम में 2288 अंकों से अधिक की प्रत्येक 4 अंकों की हरेक वृद्धि या हरेक गिरावट के लिए, जैसा भी प्रकरण हो, मूल पेंशन के 0.18 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा या महंगाई राहत की वसूली की जाएगी। महंगाई राहत 01.05.2005 से देय होगी, न कि उससे पहले।

(14) 01.05.2005 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1960=100 के क्रम में 2288 अंकों से अधिक की प्रत्येक 4 अंकों की हरेक वृद्धि के लिए या हरेक गिरावट के 0.18 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा या वसूली की जाएगी।

(15) 1.11.2007 को सेवानिवृत्त हो चुके या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के तिमाही औसत में 2836 अंकों से अधिक की हरेक 4 अंकों की वृद्धि के लिए या हरेक गिरावट के लिए, जैसा भी प्रकरण हो, मूल पेंशन के 0.15 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा या वसूली की जाएगी।

(16) (क) विनियम 15 या विनियम 23 के उप-विनियम (4) में उल्लिखित किए गए कथन के बावजूद, एक ऐसे सदस्य जिसके विरुद्ध उसके मामले में लागू होने वाली सेवा के निबंधनों एवं शर्तों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही उसके बैंक की सेवा में नहीं रहने के बाद जारी रखी गई हो या वह विचार करने के उद्देश्य से कि क्या सेवानिवृत्ति हेतु संस्वीकृति, कार्यकारिणी समिति या स्थानीय बोर्ड, जैसा भी प्रकरण हो, के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, सेवा में रहने के दौरान सदस्य द्वारा किए गए किसी कृत्य के संबंध में कोई जांच-पड़ताल या पूछताछ प्रारंभ की गई है या बैंक की सेवा में उसके नहीं रहने के न्यासी के विवेकाधिकार पर अनंतिम पेंशन राशि से अधिक नहीं हो, जो इन विनियमों के अंतर्गत ऐसे सदस्यों को पात्र सेवा अवधि के आधार पर बैंक में उसकी सेवा समाप्त होने की तिथि तक या यदि सदस्य उक्त तिथि को निलम्बनाधीन रहा हो, तो उक्त तिथि से लेकर उक्त निलम्बन की तिथि से तत्काल पहले की तिथि तक देय होती हो।

(ख) उक्त अनंतिम पेंशन के रूप में अदा की गई उक्त राशि उक्त अनुशासनिक कार्यवाही या जांच पड़ताल या पूछताछ के समाप्त होने पर संस्वीकृत निर्णायक पेंशन की राशि में से समायोजित कर ली जानी चाहिए लेकिन यदि सदस्य को अंततः बैंक की सेवा में से निकाल दिया जाता हो, तो उक्त राशि की वसूली नहीं की जाएगी और सेवानिवृत्ति लाभ जब्त हो जाएंगे।

(ग) यदि किसी भी समय बैंक की राय में यह पाया जाता है कि ऐसा सदस्य ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही या जांच पड़ताल या पूछताछ के संचालन में सहयोग नहीं कर रहा है, तो न्यासियों के विवेकाधिकार पर उक्त अनंतिम पेंशन का भुगतान रोका जा सकता है।

(17) (क) पेंशन का संराशीकरण - बैंक की सेवा से 1.1.1986 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी 1.11.1994 से या किसी भी उत्तरवर्ती तिथि को जिस दिन से वह संराशीकरण के लिए पात्र होता हो,

अपनी पेंशन की एक तिहाई राशि से अधिक नहीं होने वाले अंश (भाग) तक के एकमुश्त भुगतान का संराशीकरण करने का पात्र होगा।

(ख) बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाला एक कर्मचारी पेंशन के आंशिक भाग को जिसका वह संराशीकरण करना चाहता हो, इंगित कर सकता है और वह या तो एक तिहाई पेंशन की अधिकतम सीमा या ऐसी न्यूनतर सीमा जिसका वह संराशीकरण करना चाहता हो, को इंगित कर सकता है।

(ग) यदि संराशीकरण किए जाने वाले पेंशन का आंशिक भाग रुपए के अपूर्णाक के रूप में आता हो, तो रुपए के उक्त अपूर्णाक को संराशीकरण के उद्देश्य से छोड़ दिया जाना चाहिए।

(घ) एक आवेदक को देय एकमुश्त राशि की गणना नीचे दी गई तालिका के अनुसार की जाएगी :-

तालिका

एक रुपए वार्षिक की एक पेंशन हेतु संराशीकरण मूल्य			
आगामी जन्मतिथि को आयु	क्रय किए गए वर्ष की संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य	आगामी जन्मतिथि को आयु	क्रय किए गए वर्ष की संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य
17	18.21	18	18.07
19	17.93	20	17.78
21	17.62	22	17.46
23	17.29	24	17.11
25	16.92	26	16.72
27	16.52	28	16.31
29	16.09	30	15.87
31	15.64	32	15.40
33	15.15	34	14.90
35	14.64	36	14.37
37	14.10	38	13.82
39	13.54	40	13.25
41	12.95	42	12.66
43	12.35	44	12.05
45	11.73	46	11.42
47	11.10	48	10.78
49	10.46	50	10.13
51	9.81	52	9.48
53	9.15	54	8.82
55	8.50	56	8.17
57	7.85	58	7.53
59	7.22	60	6.91
61	6.60	62	6.30
63	6.01	64	5.72
65	5.44	66	5.17
67	4.90	68	4.65

69	4.40	70	4.17
71	3.94	72	3.72
73	3.52	74	3.32
75	3.13	76	2.94
77	2.75	78	2.56
79	2.38	80	2.20
81	2.02	82	1.84
83	1.67	84	1.50
85	1.33		

स्पष्टीकरण – इस उप-विनियम के प्रयोजन हेतु

(1) (क) उपर्युक्त तालिका में पेंशनर की अगली जन्मतिथि को पेंशनर की आयु के संदर्भ में क्रय किए गए वर्षों की कुल संख्या के रूप में पेंशन का संराशीकरण मूल्य इंगित किया गया है।

(ख) 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में संराशीकरण मूल्य क्रय किए गए 7.22 वर्ष होता है और इसलिए यदि वह सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के अंदर अपनी पेंशन में से एक सौ रुपए का संराशीकरण करता है, तो उसे देय मुश्त राशि $\text{रु.}100 \times 7.22 \times 12 = \text{रु.}8,664$ होगी।

(2) एक कर्मचारी जिसने पेंशन के स्वीकार्य भाग का संराशीकरण किया हो, तो संराशीकरण की तिथि से 15 वर्षों की अवधि के समाप्त हो जाने के बाद पेंशन के संराशीकृत भाग को पुनः बहाल कराने का पात्र होगा।

(3) यदि संराशीकरण हेतु आवेदन सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के अंदर किया गया हो, तो चिकित्सा जांच आवश्यक नहीं होगी।

परंतु यह कि यदि कोई कर्मचारी बैंक की सेवा से अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के बाद पेंशन के संराशीकरण हेतु आवेदन करता है, तो बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति द्वारा पदनामित एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा जांच किए जाने के अधीन संराशीकरण के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी।

(4) पेंशन का संराशीकरण निरपेक्ष माना जाएगा, यदि एक कर्मचारी -

(क) जो पेंशन के संराशीकरण हेतु आवेदन सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद आने वाली तिथि को प्रस्तुत करता हो ;

(ख) यदि उसने पेंशन के संराशीकरण हेतु आवेदन सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात लेकिन सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व उस तिथि को किया हो जिस तिथि को संराशीकरण हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया हो ;

(ग) यदि उसने पेंशन के संराशीकरण हेतु आवेदन सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के पश्चात उस तिथि को किया हो जिस तिथि को बैंक के अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक चिकित्सा प्रमाणपत्र दिया गया हो।

24. निधि की बहियों और खातों का रखरखाव - निधि की बहियों एवं खातों का समतुलन प्रत्येक वर्ष 31 मार्च एवं 30 सितंबर को किया जाएगा और 31 मार्च को वार्षिक आधार पर तैयार किया जाने वाला स्थिति विवरण न्यासियों की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा जो हर वर्ष 31 अगस्त से पूर्व आयोजित की जाएगी।

25. भारत के बाहर अन्य देशों में कार्य पर रखे गए कर्मचारी - विनियम 8 के उप विनियम 1 (क) के खण्ड (क) में उल्लिखित किए गए किसी भी कथन के बावजूद, ये विनियम केन्द्रीय बोर्ड द्वारा उन कर्मचारियों के मामले में भी लागू किए जा सकेंगे जो भारत से बाहर किसी भी अन्य देश में कार्यरत हों और सेवा हेतु उस देश में नियुक्त किए गए हों। ये विनियम एक ऐसी सीमा तक और एक ऐसी अवधि हेतु तथा ऐसी शर्तों व संशोधनों के अध्याधीन लागू किए जा सकेंगे जिसे केन्द्रीय बोर्ड उचित समझता हो।

26. कर्मचारी से वचन-पत्र - प्रत्येक कर्मचारी द्वारा निधि का सदस्य बनते समय निम्नलिखित फॉर्म के अनुरूप एक अनुबंध किया जाएगा :-

फॉर्म

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के विनियमों को पढ़े एवं समझ लिया है और मैं एतद्वारा उक्त नियमों के प्रति अपनी सहमति और उनके प्रति बंधनकारी होने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

पूरा नाम : _____

जन्म तिथि: _____

नियुक्ति का स्वरूप: _____

कार्यभार ग्रहण करने की तिथि: _____

स्थायी होने की तिथि: _____

निधि का सदस्य बनने के लिए पात्र होने की तिथि: _____

वेतन प्रतिमाह: _____

हस्ताक्षर : _____

भविष्य निधि क्रमांक : _____

दिनांक : _____

साक्ष्य: _____

पदनाम _____

पता : _____

विवरण सही पाए गए और सत्यापित किए गए।

कार्यालय प्रबंधक/शाखा प्रबंधक/उप महाप्रबंधक

27. बचाव खण्ड – भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि नियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार और के अंतर्गत की गई सभी कार्रवाइयां और लिए गए सभी निर्णय वैध रहेंगे और संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे। उक्त भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि नियम, 1955 के स्थान पर इन विनियमों के प्रतिस्थापित हो जाने से उक्त नियमों के अनुसार लिए गए विभिन्न निर्णयों/की कई कार्रवाइयों की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

विनियम 10 को भारत सरकार के अनुमोदन की पूर्व-प्रभावी तिथि, अर्थात् 25 जनवरी, 2012 से लागू किया गया है जिससे कि सदस्यों के वेतन के 10 प्रतिशत के सामान्य अंशदान के अतिरिक्त बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पेंशन निधि में अतिरिक्त अंशदान किया जा सके। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन विनियमों को पूर्वप्रभाव से लागू करने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मुख्य महाप्रबंधक, (मानव संसाधन)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/39/14]

STATE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th September, 2014

No. CDO/PM/16/SPL/1136.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (0) of sub-section (2) of section 50 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), and in supersession of the State Bank of India Employees' Pension Fund Rules *vide* File No. F.8/45/65-SB, dated the 18th May, 1965, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of the State Bank of India, after consultation with the Reserve Bank and with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.—

- (1) These regulations may be called the State Bank of India Employees' Pension Fund Regulations, 2014.
 (2) Save as otherwise provided, these regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955);
 (b) "Bank" means the State Bank of India;
 (c) "Board of Trustees" means the Board of Trustees referred to in regulation 3;
 (d) "Competent Authority" means the Competent Authority referred to in regulation 15;
 (e) "Form" means the Form appended to the regulations;
 (f) "Fund" means State Bank of India Employees' Pension Fund;
 (g) "Member" means any person in the service of the Bank who has been admitted to the membership of the Fund;
 (h) "Pension" means the Pension as computed under regulation 23;
 (i) "Salary" means the substantive or basic pay:

Provided that in respect of the period from the 1st January, 1962 to 31st July, 1966, salary shall mean -

- (A) in the case of employees other than those covered by, or paid on the same basis as in, the Award of the National Industrial Tribunal substantive or basic pay.
 (B) in the case of employees, other than subordinate staff, so covered by, or paid on the same basis as in, the Award of the National Industrial Tribunal, eighty per cent. of the awarded basic pay; and
 (C) in the case of the subordinate staff so covered by, or paid on the same basis as in, the Award of the National Tribunal, seventy five per cent of the awarded basic pay:

Provided further that from the 1st September, 1978, 'salary' or 'substantive salary' shall include other emoluments or such portion thereof of a member as may for the time being be permitted by the Bank to rank for superannuation benefits under the rules of service applicable to the member.

- (2) All other words and expressions used in these regulations but not defined, and defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Board of trustees and its meetings. –The trustees of the Fund shall be the Directors of the Bank for the time being and at every meeting of such trustees, the Chairman of the Bank shall be the Chairman of the meeting and in his absence one of the Directors not being an executive officer shall be elected as the Chairman of the meeting.

4. Quorum for the meeting. – (1) The presence of at least five trustees of whom two shall be executive officers of the Bank shall be necessary to form a board for the transaction of business.

(2) Each trustee shall have one vote and in all cases of an equal division, the Chairman shall have a casting vote.

5. Committees of the Fund.– (1) The trustees may appoint any one from their number, who shall be an executive officer of the Bank, to exercise on behalf of the trustees all powers and discretions vested in the trustees in connection with sanctioning of pensions admissible under these regulations.

(2) The trustees may also appoint a committee from their number to carry on other ordinary business of the Fund including the sale of securities and investment of Funds.

(3) Three trustees shall form a quorum of the committee subject, however, to the over-riding condition that two of the trustees present shall be the Directors who are not executive officers of the Bank.

(4) All decisions of the committee shall be unanimous, failing which the matter on which there is a division of opinion shall be referred to a meeting of the Board of trustees.

6. **Alteration in these regulations.**—The trustees may, where circumstances so warrant, recommend to the Central Board of the Bank any alteration or alterations in these regulations to be made in accordance with the provisions of section 50 of the State Bank of India Act, 1955.

7. **Eligibility.**—(1) Save as provided in regulation 8, every permanent employee in the service of the Bank, including a permanent part-time employee who is required by the Bank to work for more than six hours a week, under the terms and conditions of his service shall become a member of the Fund from-

- (a) the date from which he is confirmed in the service of the Bank, or
- (b) the date from which he may be required to become a member of the Fund under the terms and conditions of his service.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) above any employee who joins the service of the Bank on or after 1st August, 2010 shall not become and shall not be entitled to become a member of the Fund.

8. **Denial of membership.**—(1) Save as provided in regulation 25, no employee shall be eligible to become a member of the Fund on or after the 22nd May, 1998 –

- (a) if he is a member of the Imperial Bank of India Employees' Pension and Guarantee Fund or if he is engaged in any country outside India and appointed for service in such country;
- (b) if he is below the of age eighteen years;
- (c) if he is over fifty years of age; or
- (d) whose service is specifically declared by the Bank to be non-pensionable.

9. **Grant of membership to employee of Banking Institution acquired by or amalgamated with the Bank .-** Notwithstanding anything contained in regulation 7 and regulation 8, in the event of the Bank acquiring the business of any banking institution under section 35 of the Act or in the event of amalgamation of any banking institution with the Bank under the Banking Regulation Act, 1949 or any other law for the time being in force -

(a) the employees of the banking institution who have, pursuant to such acquisition or amalgamation become permanent employees of the Bank, shall become members of the Fund as per these regulations, if the Central Board of the Bank decides to make them members of the Fund;

(b) the employees of the banking institution who have retired prior to such acquisition or amalgamation and who are entitled to benefit of pension, including enhancements and family pension, if any, shall become members of the Fund as per these regulations, as may be determined by the Central Board of the Bank such members shall be eligible for pension in conformity with the rules, regulations of such banking institution by which they were governed and under which they were entitled for pensionary benefits prior to the date of such acquisition or amalgamation and the scheme of acquisition or amalgamation.

(c) the employees of the banking institution who have retired, prior to such acquisition or amalgamation, and who have become entitled to benefit of pension as a result of any settlement, industry level or otherwise, shall become members of the Fund, as per these regulations, as may be determined by the Central Board of the Bank in conformity with the settlement or the rules, regulations or the scheme of acquisition or amalgamation of such banking institution, under which they were governed and were or have become entitled for benefit of pension, prior to the date of such acquisition or amalgamation.

10. **Bank's contribution to Pension Fund . -** (1) The Bank shall subscribe monthly to the Fund a sum equal to ten per cent. of the salary payable by the Bank in respect of all employees who are members of the Fund:

Provided that the Bank shall not subscribe for the period of such service of a member which is not to be counted as pensionable service.

(2) The amount of the Bank's subscription thus calculated, if it contains element of paise, shall be rounded off to the next higher rupee.

(3) On or after the 25th January, 2012, the Bank shall cause an investigation to be made by an Actuary into the financial condition of the Fund every financial year, on the 31st day of March, and make such additional annual contributions to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under these pension regulations.

Provided that the pension structure for different categories of pensioners shall not be varied on such actuarial investigation or valuation.

11. **Administration of Fund property.**—No employee shall have any right of property in the Fund nor shall have any voice in its management unless qualified as a trustee to the Fund.

12. **Payment of interest.** – The Bank shall pay interest on all moneys of the Fund in deposit with the Bank at the rate fixed by it from time to time to be credited at the close of each half-year.

13. **Investment of Fund money.** – (1) The trustees may invest the moneys of the Fund or any portion thereof in stocks, Funds and securities (other than immovable property) in which a trustee is authorised to invest trust money by any law for the time being in force.

(2) The securities for the investments made under this regulation shall be registered or held in the name of the State Bank of India and shall be deposited in safe custody in the Bank in the name of the trustees of the Fund.

14. **Forfeiture or Accrual of pension.**—An employee dismissed from the Bank's service for wilful neglect or fraud shall forfeit all claims upon the Fund for pension.

15. **Sanction of retirement.**—The retirement of all officers of the Bank shall be subject to the sanction by the competent authority designated by the Executive Committee of the Central Board of the Bank from time to time:

Provided that a decision to deny sanction under these regulations to an officer shall need the previous approval of the Executive Committee of the Central Board and the retirement of all other employees of the Bank shall be subject to the sanction of the competent authority:

Provided further that a decision to deny sanction under these regulations to an employee shall need the previous sanction of the Executive Committee of the Local Board concerned with his employment and any officer or other employee who shall leave the service without sanction as required by these regulations shall forfeit all claim upon the Fund for pension.

16. **Pension not assignable.**—A pension shall not be assignable and it shall cease in the event of an assignment being made.

17. **Accrual of pension.**— The pensions shall begin to accrue on the first day succeeding that of retirement and shall be payable monthly to the beneficiary personally or to his order when supported by a life certificate bearing his signature and attested by a Magistrate or Banker.

Explanation.- For the purposes of this regulation, the expressions-

(a) "Magistrate" includes the Judicial Magistrate or Executive Magistrate;

(b) "Banker" includes any officer of the Bank.

18. **Payment of pension.**—The pensions shall in each case be debited to the member's account in the Fund until the balance thereof is exhausted and thereafter to the general balance of the Fund.

19. **Employment after retirement.** –(1) If an officer of the Bank who is entitled to pension under these regulations intends to accept employment in any other Bank at any time or any other commercial employment within one year from the date of retirement, he should obtain the previous sanction of the competent authority and in such case, the competent authority shall consider such proposals in accordance with the guidelines, laid down from time to time by the Executive Committee.

(2) In exceptional circumstances, where the proposal does not conform to the guidelines laid down by the Executive Committee or the permission is proposed to be declined, it shall be considered by the Executive Committee and in case if the officer undertake such employment without the sanction required under this regulation it shall be competent for the trustees to withdraw the pension payable to him either in whole or in part at their discretion:

Provided that an officer permitted by the Executive Committee to take up a particular form of commercial employment during his leave preparatory to retirement shall not be required to obtain subsequent permission for his continuance in such employment after retirement.

(3) Where an officer employee has applied for previous sanction to the competent authority under sub-regulation (1), it shall either permit the employee to take up the employment in any other Bank or commercial employment or refuse such permission after giving the employee an opportunity of being heard:

Provided that where the competent authority does not communicate its permission or refusal to the applicant within a period of ninety days of the receipt of the application by it, the competent authority shall be deemed to have permitted the employee to take up the said employment :

Provided further that where the competent authority has called for further information or clarification from the employee, the period taken by the employee in furnishing the required information or clarification shall be excluded for the purpose of computing the aforesaid period of ninety days.

20. **Reckoning of service for pension.**— Save as provided in regulation 21, with effect from the 1st November, 1993, service rendered by an employee or member from the date of his admission to the Fund up to the date of retirement in terms of regulation 22 from the Bank's service shall be reckoned as service for pension.

21. **Pensionable service.**—(1) No period of leave granted without leave salary or of absence without leave shall count as pensionable service:

Provided that a period of suspension shall count as pensionable service only to such extent as the authority which reinstates him declares it to be pensionable at the time of reinstatement or the authority which sanctions his retirement declares it to be so at the time of according the sanction.

(2) If an ex-employee rejoins the Bank's service, the trustees in their absolute discretion may allow the period of his service prior to his rejoining to count for pension as if there had been no break in the continuity of such service.

22. **Minimum service for pension.**— (1) A member shall be entitled to a pension under these regulations on retiring from the Bank's service-

(a) after having completed twenty years' pensionable service provided that he has attained the age of fifty years or if he is in the service of the Bank on or after the 1st November, 1993, after having completed ten years pensionable service provided that he has attained the age of fifty eight years or if he is in the service of the Bank on or after the 22nd May, 1998, after having completed ten years pensionable service provided that he has attained the age of sixty years;

(b) after having completed twenty years' pensionable service, irrespective of the age he shall have attained, if he shall satisfy the authority competent to sanction his retirement by approved medical certificate or otherwise that he is incapacitated for further active service—

(c) after having completed twenty years pensionable service, irrespective of the age he shall have attained at his request in writing;

(d) after twenty five years' pensionable service.

(2) A member who has attained the age of fifty-five years or who shall be proved to the satisfaction of the authority empowered to sanction his retirement to be permanently incapacitated by bodily or mental infirmity from further active service (such infirmity not being the result of irregular or intemperate habits) may, at the discretion of the trustees, be granted a proportionate pension.

(3) A member who has been permitted to retire under clause (c) of sub-regulation (1) shall be entitled to proportionate pension.

23. **Computation of pension.** – (1) Subject to the provisions of sub-regulations (2) and (3), the pension payable under regulation 22 shall be the amount calculated at the rate of one-sixtieth part of every year's pensionable service of the average monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service.

(2) The maximum pension shall not exceed one-half of the average monthly substantive salary drawn during the last twelve months pensionable service or rupees two thousand four hundred per month (pro-rata in the case of part time employees) whichever is less:

Provided that the maximum amount of pension shall be increased for the members who retired or retire on or after the 1st November, 1993 from rupees two thousand four hundred per month to rupees four thousand two hundred fifty per month (pro-rata in the case of part-time employees) after adjustment of dearness allowance on the basic pay upto 1148 points in the quarterly average of the All India Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100:

Provided further that with effect from the 1st March, 1999 the maximum amount of pension for the members who retired or retire drawing substantive salary in the Pay Scales effective from the 1st November, 1992 (Award Staff) or the 1st July, 1993 (Supervising Staff) and thereafter shall be computed till further amendments in this regard, as under—

(a) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is upto rupees eight thousand five hundred per month, fifty per cent. of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service (pro-rata in the case of part-time employees); and

(b) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is above rupees eight thousand five hundred per month, forty per cent of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service subject to minimum of rupees four thousand two hundred fifty (pro-rata in the case of part-time employees):

Provided also that with effect from the 1st May, 2005, the maximum amount of pension for the members who retired or retire drawing substantive salary in the Pay Scales effective from the 1st November, 2002 shall be computed till further amendments in this regard, as under—

(a) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is up to rupees twenty one thousand forty plus Professional Qualification Pay plus Fixed Personal Pay per month, fifty per cent of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service (pro-rata in the case of part-time employees); and

(b) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is above rupees twenty one thousand forty plus Professional Qualification Pay plus Fixed Personal Pay per month, forty per cent of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service subject to minimum of rupees ten thousand five hundred twenty plus half of Professional Qualification Pay plus half of Fixed Personal Pay wherever applicable (pro-rata in the case of part-time employees):

Provided also that with effect from the 1st November, 2007, the maximum amount of pension for the members who retired or retire drawing substantive salary in the pay scales effective from the 1st November, 2007 shall be computed till further amendments in this regard, as under:

(a) Where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is up to rupees thirty one thousand five hundred per month at fifty per cent. of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service plus half of Professional Qualification Pay plus half of increment component of Fixed Personal Pay, wherever applicable (pro-rata in the case of part-time employees);

(b) Where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is above rupees thirty one thousand five hundred per month at forty per cent. of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service subject to minimum of rupees fifteen thousand seven hundred fifty plus half of Professional Qualification Pay plus half of increment component of Fixed Personal Pay, wherever applicable (pro-rata in the case of part-time employees).

(3) The amount of pension payable under sub-regulation (2), if it contains element of paise, shall be rounded off to the next higher rupee.

(4) The minimum pension payable to a regular employee (Pro-rata in case of part-time employees) shall not be less than three hundred rupees per month.

(5) (a) The employees of the banking institution who have become the members of the Fund, pursuant to clause (a) of regulation 9, shall be entitled to receive such pension, as may be decided by the Central Board of the Bank.

(b) The decision of the Central Board, as regards eligibility of such employees to become members of the Fund and benefit of pension to which they are entitled, shall be final, conclusive and binding on such employees.

(c) The employees of the banking institution, who have retired, prior to the date of such acquisition or amalgamation, but have become members of the Fund, pursuant to clause (b) of regulation 9 or clause (c) of regulation 9, shall be entitled to receive such pension including enhancement and family pension, if any, as may be determined by the Central Board of the Bank, pursuant to the settlement, industry level or otherwise and the pension rules and regulations by which they were governed prior to the date of acquisition or amalgamation.

(6) No pension shall be paid to a member unless it has been sanctioned by the trustees under these regulations.

(7) In the event of death of a member—

(a) while in service of the Bank after completion of pensionable service of one year; or

(b) after retirement, the trustees may sanction family pension to the dependent(s) of the employee on the terms and conditions approved by the Central Board.

(8)(a) In the case of members who ceased to be in the Bank's pensionable service prior to the 1st November, 1987 (excluding 1st November, 1987), dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall as the case may be, of every 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, subject to necessary adjustment suitably up to 600 points.

(b) Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :—

TABLE

Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as a per cent. of basic pension
(a) upto Rs. 1250	0.67 per cent
(b) Rs 1251 to Rs. 2000	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 percent of basic pension in excess of Rs. 1250.

(c) Rs. 2001 to Rs. 2130	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent. of the difference between Rs. 2000 and Rs. 1250 plus 0.33 per cent. of basic pension in excess of Rs. 2000.
(d) above Rs. 2130	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs. 2000 and Rs. 1250 plus 0.33 per cent. of the difference between Rs. 2130 and Rs. 2000 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs. 2130.

(9) (a) In the case of members who ceased to be in the Bank's pensionable service from the 1st November, 1987 to the 31st October, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100.

(b) Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :—

TABLE

Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as a per cent. of basic pension
(a) upto Rs. 1250	0.67 per cent
(b) Rs. 1251 to Rs. 2000	0.67 per cent. of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of basic pension in excess of Rs. 1250.
(c) Rs. 2001 to Rs. 2130	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs. 2000 and Rs. 1250 plus 0.33 per cent. of basic pension in excess of Rs. 2000.
(d) above Rs. 2130	0.67 per cent. of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs. 2000 and Rs. 1250 plus 0.33 per cent of the difference between Rs. 2130 and Rs. 2000 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs. 2130.

(10) (a) In the case of members who retire from the Bank's service on or after 1st November 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1148 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100.

(b) Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :-

TABLE

Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as a per cent. of basic pension
(a) up to Rs. 2400	0.35 per cent.
(b) Rs. 2401 to Rs. 3850	0.35 per cent of Rs. 2400 plus 0.29 per cent of basic pension in excess of Rs. 2400
(c) Rs. 3851 to Rs. 4100	0.35 per cent of Rs. 2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs. 3850 and Rs. 2400 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs. 3850
(d) above Rs. 4100	0.35 per cent of Rs. 2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs. 3850 and Rs. 2400 plus 0.17 per cent of the difference between Rs. 4100 and Rs. 3850 plus 0.09 per cent of basic pension in excess of Rs. 4100.

(11) (a) Dearness relief shall be payable for the half year commencing from the 1st day of February and ending with the 31st day of July on the quarterly average of the index figures published for the months of October, November and December of the previous year and for the half year commencing from the 1st day of August and ending with the 31st day of January on the quarterly average of the index figures published for the months of April, May and June of the same year.

(12) The Dearness relief shall be allowed on full basic pension even after commutation.

(13) In respect of retirees of the period the 1st November, 2002 to the 30th April, 2005, the dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, at the

rate of 0.18 per cent of basic pension and dearness relief shall be payable with effect from the 1st May, 2005 and not prior to that.

(14) In respect of employees who retired on or after the 1st May, 2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, at the rate of 0.18 per cent of basic pension.

(15) In respect of employees who retired or retire on or after the 1st November, 2007, dearness relief on pension shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15 per cent of the basic pension.

(16) (a) Notwithstanding anything contained in regulation 15 or sub-regulation (4) of regulation 23, in the case of a member against whom disciplinary proceedings under the Rules of Service applicable to him have been continued after he ceases to be in the Bank's service or where, for the purpose of considering whether sanction for retirement should be granted by the Executive Committee or the Local Board, as the case may be, any investigation or enquiry in respect of any act committed by the member while in service has been initiated or continued by the Bank after he ceases to be in the Bank's service, the member may be paid at the discretion of the Trustees a provisional pension of an amount not exceeding the maximum amount of pension which would have been admissible to such member under these regulations on the basis of qualifying service up to the date he ceases to be in the Bank's service or if the member was under suspension on such date up to the date immediately preceding the date of such suspension.

(b) The amount paid as such provisional pension shall be adjusted against the amount of final pension if sanctioned on conclusion of such disciplinary proceedings or investigation or enquiry but no recovery of such amount shall be made if the member is ultimately dismissed from the Bank's service and the retirement benefits are forfeited.

(c) If at any time in the opinion of the Bank, such member is found not co-operating with the conduct of such disciplinary proceedings or investigation or enquiry, the payment of the provisional pension may, at the discretion of the Trustees, be stopped.

(17)(a).Commutation of pension.- An employee who retires from the Bank's service on or after the 1st January, 1986 shall be entitled to commute upto a lump sum payment of a fraction not exceeding one-third of his pension with effect from the 1st November, 1994 or on any subsequent date, from which he becomes eligible for commutation:

(b) An employee who retires from the Bank's service shall indicate the fraction of pension which he desires to commute and may either indicate the maximum limit of one-third pension or such lower limit as he may desire to commute;

(c) If fraction of pension to be commuted results in fraction of rupee, such fraction of a rupee shall be ignored for the purpose of commutation;

(d) the lump sum payable to an applicant shall be calculated in accordance with the table given below :-

TABLE

Commutation Value for a pension of Re One per annum			
Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
17	18.21	18	18.07
19	17.93	20	17.78
21	17.62	22	17.46
23	17.29	24	17.11
25	16.92	26	16.72
27	16.52	28	16.31
29	16.09	30	15.87
31	15.64	32	15.40
33	15.15	34	14.90
35	14.64	36	14.37
37	14.10	38	13.82
39	13.54	40	13.25
41	12.95	42	12.66
43	12.35	44	12.05
45	11.73	46	11.42
47	11.10	48	10.78
49	10.46	50	10.13

51	9.81	52	9.48
53	9.15	54	8.82
55	8.50	56	8.17
57	7.85	58	7.53
59	7.22	60	6.91
61	6.60	62	6.30
63	6.01	64	5.72
65	5.44	66	5.17
67	4.90	68	4.65
69	4.40	70	4.17
71	3.94	72	3.72
73	3.52	74	3.32
75	3.13	76	2.94
77	2.75	78	2.56
79	2.38	80	2.20
81	2.02	82	1.84
83	1.67	84	1.50
85	1.33		

Explanation.—For the purposes of this sub-regulation-

(1) (a) The table above indicate the commuted value of pension expressed as number of years purchase with reference to the age of the pensioner as on his next birthday.

(b) The commuted value in the case of an employee retiring at the age of fifty eight years is 7.22 years' purchase and, therefore, if he commutes rupee one hundred from his pension within one year of retirement, the lump sum amount payable to him works out to Rs 100 x 7.22 x 12 = Rs 8,664.

(2) An employee who had commuted the admissible portion of pension is entitled to have the commuted portion of the pension restored after the expiry of a period of fifteen years from the date of commutation.

(3) No medical examination shall be necessary, if the application for commutation is made within one year from the date of retirement:

Provided that if an employee applies for commutation of pension after one year from the date of his retirement from the Bank's service, the same will be permitted, subject to medical examination, by a Competent Authority as designated by the Executive Committee of the Central Board of the Bank.

(4) The commutation of pension shall become absolute in the case of an employee,-

(a) who submits an application for commutation of pension before the date of retirement, on the date following the date of retirement;

(b) if he applied for commutation of pension after the date of retirement but before the completion of one year from the date of retirement, on the date the application for commutation is received by the competent authority;

(c) if he applies for commutation of pension after one year from the date of retirement, on the date of medical certificate given by a medical officer approved by the Bank;

24. **Maintenance of books and accounts of the fund.** – The books and accounts of the Fund shall be balanced on the 31st March and 30th September in every year and a statement of affairs made up annually to 31st March shall be submitted to a meeting of the trustees to be held not later than the 31st August in every year.

25. **Employees engaged in any country outside India.** – Notwithstanding anything contained in clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 8, the regulations may be extended by the Central Board to apply to employees engaged in any country outside India and appointed for service in such country, to such extent, for such period and subject to such conditions and modifications as the Central Board may deem fit.

26. Undertaking from the employee. –

Every employee when joining the Fund shall subscribe an agreement in the following form :-

FORM:

I hereby declare that I have read and understood the regulations of the State Bank of India Employees' Pension Fund and I hereby subscribe and agree to be bound by the said regulations.

Name in full : _____

Date of birth : _____

Nature of appointment: _____

Date of joining service: _____

Date of confirmation: _____

Date from which eligible to become member of the fund: _____

Salary per month: _____

Signature): _____

Index No.: _____

Dated _____ day of _____ 20_____

Witness _____

Designation _____

Address _____

Particulars found correct and signature verified.

Office Manager/Branch Manager/Deputy General Manager

27. **Saving Clause.** – All the actions taken and anything done under and as per the provisions of State Bank of India Employees' Pension Fund Rules–1955 shall remain valid and binding on the concerned parties. The supersession of the said State Bank of India Employees' Pension Fund Rules–1955 by these regulations shall not affect the validity of various decisions/actions taken pursuant to the said rules.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Regulation 10 has been given retrospective effect from the date of Government of India approval i.e. from 25th January, 2012 so as to make additional contribution to the Pension Fund as per Actuarial valuation in addition to the usual contribution at ten per cent of the salary of members. It is certified that the interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

[ADVT. III/4/Exty./39/14]

Chief General Manager (HR)